सुरज्ञान बनाम रामावतार ...
दीवानी 212 RTAct प्र नं. 81/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
...-10-19	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी ।पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के वकुलाय के द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में अंकित किया है कि अप्राथी नंबर 1 द्वारा प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 531 में स्थित पुख्ता चाह को स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है । जबकि प्रार्थीगण खसरा नंबर 531 रकबा 0.63 है0 में स्थित पुख्ता चाह खसरा नंबर 531/1627 रकबा 0.01है अप्रार्थी नंबर 1 के नाम से दर्ज है के 1/2हिस्से में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करवाने के लिए दावा पेश करना लाजमी हुआ क्योकि प्रार्थीगण खसरा नंबर 531 से पिलाई करते आ रहे है । जिस पर अप्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न करते है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि बाके ग्राम सुनारी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित खसरा नंबर 531 रकबा 0.63 है0 में स्थित पुख्ता चाह खसरा नंबर 531/1627 रकबा 0.01 है0 के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे एवं पुख्ता चाह से खेतो की पिलाई करने में किसी तरह की व्यवधान नही करें । वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में बताया कि प्रार्थीगण के मन में सेटलमेंन्ट हुए गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी नंबर 1 की जमीन को हडपने की बदयान्ती पैदा हो गई तथा उन्होने रिकार्ड को दुरूस्त कराने के बजाय खसरा नंबर 531सम्पूर्ण अपनी होना बता कर एवं गैरमुमकिन चाह में 1/2भाग अपना होगा बताकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है । खसरा नंबर 531 नवीन सेटलमेन्ट में गलत रूप से अप्रार्थी नंबर 1 के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है । इसी प्रकार ख0नं0 532 में दक्षिण पश्चिम कोने की तरफ का रकबा 0.63है0 भाग गलत रूप से प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी नंबर 1 के नाम दर्ज हुआ है । उसे दुरूस्त करवाने व अप्रार्थी नंबर 1 के कब्जे काश्त एवं गैरमुमकिन चाह के उपयोग में कोई बाधा उत्तपन न करने हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे ।काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करते हुए वकील प्रार्थीगण द्वारा काउण्टर क्लेम खारिज करने हेतु अनुरोध किया है । अप्रार्थी नंबर 1लगायत 4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश –26 ,नियम –9सीपीसी के तहत पेश कर अंकित किया है कि विवादित भूमि गैरमुमकिन चाह खसरा नंबर 531/1627 रकबा 0.01है0 एवं ख0नं0 531 रकबा 0.63है0 तथा ख0नंबर 531 के अटेच ख0नं0 532 के 0.18है0 भाग पर तथा ख0नं0 528 रकबा 0.92है0 को मौके पर हम अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक चक कर रखा है तथा चारो ओर तार फैंसिग कर रखी है तथा ख0नं0 532में शेष बची हुई पश्चिम दक्षिण कोने की 0.63है0 भूमि पर प्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा है जिसके मौके पर जॉच कर मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है जिसके संबंध में वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 17–12–18 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को प्रार्थी वकील द्वारा स्वीकार किया है । अतः उभय पक्ष के पक्षकारान को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 531 रकबा 0.63है0 , खसरा नंबर 531/1627 रकबा 0.01है0 एवं ख0नं0 532 रकबा 0.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	20 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न रहे । उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 14:55:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: